P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

पीएनबी में हुआ नीरव मोदी घोटाला : लचर बैंकिग सिस्टम का खामियाजा

अनीता जैन
मानदेय प्रवक्ता,
अर्थशास्त्र विभाग,
जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कालिज,
बड़ौत, बागपत, भारत

मुकेश कुमार
सह प्राध्यापक एवं प्रभारी,
वाणिज्य विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलिज,
बड़ौत, बागपत, भारत

सारांश

29 जनवरी 2018 को देश के सरकारी क्षेत्र के दूसरे सबसे बडे बैंक पीएनबी ने 280 करोड की धोखाधड़ी (फ्रॉड) के मामले में हीरा और आभूषण कारोबारी, अरबपति, 48 वर्षीय नीरव मोदी (गुजराती–मुम्बई निवासी) सहित 18 (पत्नि अमेरिकी नागरिक अमी मोदी, बहन बेल्जियम नागरिक पूर्वी मोदी, भाई नीशल मोदी, कारोबारी सहयोगी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेमन्त भट्ट एवं 13 पीएनबी के अधिकारी) के खिलाफ सीबीआई के यहां शिकायत दर्ज करायी। पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई ने प्रारम्भिक जांच के दौरान मिले अहम सबूतो (31 मई 2017 को पीएनबी के सेवानिवृत्त तत्कालीन डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और सिंगल विंडो ऑपरेटर (एसडब्लूओ) मनोज खराट इस सवाल का कोई जबाव नहीं दे पाये कि बिना नकदी जमा किये किस आधार पर बायर्स क्रेडिट जारी कर दिये गये) के आधार पर नीरव मोदी सहित 18 के खिलाफ 30 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज की। सीबीआई द्वारा 03–04 फरवरी 2018 को आरोपियो के 21 ठिकानों पर छापे मारने पर पीएनबी से बायर्स लोन लेने के मामले मे बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत मिलने पर 05 फरवरी 2018 को पीएनबी ने बीएसई को सूचना देकर यह राज उजागर किया कि इसकी दक्षिण मुम्बई ब्रेडी हाउस शाखा में 1.77 अरब डालर (11346 करोड रु0) का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के तार भी नीरव मोदी से जुडे हुये थे। इस घोटाले में पीएनबी के कुछ अधिकारियो ने मिलीभगत करके कुछ खाता धारको को लाभ पहुँचाने के लिए लेन देन किये। इन लेन देन के आधार पर विदेशो में स्थित दूसरे भारतीय बैंको की शाखाओ ने पीएनबी के इन खाता धारको को विदेशो में बायर्स क्रेडिट (कर्ज) दिये जो इन खाताधारकों द्वारा वापिस नहीं किये गये। 07 फरवरी 2018 को पीएनबी ने सीबीआई के यहां एक और शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर सीबीआई ने 13 फरवरी 2018 को दूसरी एफ0आई0आर0 दर्ज की जिसमें नीरव मोदी व इसके मामा मेहुल चौकसी (गुजराती–मुम्बई निवासी) दोनो को आरोपित किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएनबी फ्रॉड मामले में नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की 6 कम्पनियों को 9539.38 करोड रुपये के एलओयू और 1799.36 करोड रुपये के एफएलसी कुल 11338.74 करोड रुपये के 293 एलओयू व एफएलसी जारी किये गये थे।

मुख्य शब्द : एलओयू, पीएनबी, सीबीआई, ईडी।

प्रस्तावना

पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा अपने खाताधारको– नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी से जुडी 06 कम्पनियों (सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमण्ड, डायमण्ड आयूएस, गीतांजलि जेम्स, गिली इण्डिया एवं नक्षत्र) को लेटर ऑफ अंडरटेकिग (एलओयू) और फोरेन लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) जारी करती थी जिनके आधार पर वे विदेशों में स्थित दूसरे भारतीय बैंको (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक एवं एक्सिस बैंक) की शाखाओं से कर्ज उठाते थे। एलओयू एक बैंक शाखा की तरफ से अपने खाताधारक (आयातक) को विदेश में सीमित अवधि (90 दिन तक) का कर्ज दिलाने के लिए दूसरे देश में दूसरे भारतीय बैंक की शाखा को जारी एक ऐसा प्रपत्र है, जो इस खाताधारक के पक्ष में दी गयी गारन्टी होती है। इसके जरिये दूसरे बैंक को यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर आयातक 90 दिनो के बाद कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो मूल बैंक वह कर्ज चुकाता है। बदले में मूल बैंक आयातक द्वारा दी गयी मार्जिन मनी/गिरवी रखी गयी सम्पत्ति जब्त कर लेता है। एलओयू की सूचना मूल बैंक के सीबीएस में एंट्री करने के पश्चात् विश्व भर में बैंको द्वारा फंड ट्रांस्फर के लिए अपनाये जाने वाले

मेसेजिंग सिस्टम SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन) के जरिये दी जाती है।

एलओयू जारी करने वाले बैंक को 1/4 प्रतिशत फीस मिलती है, कर्ज देने वाले बैंक को ब्याज मिलता है और आयातक को संस्था विदेशी ऋण। विदेशों में कर्ज सस्ता होने के कारण आयातक देश के बाहर ही कर्ज लेते है इसलिए यह मामला विदेशी शाखाओं से जुड़ा हुआ है और गांरटी भी डालर में दी गयी है। बैंक अनाधिकृत तौर पर आयातकों के साथ मिलकर यह कार्य करते है और इसमें परोक्ष तौर पर इन्हें शीर्ष अधिकारियों से अनुमति होती है। नीरव मोदी ने पहली बार सन् 2011 में एलओयू के लिये आवेदन किया था। इस प्रकार यह घोटाला यूपीए सरकार के समय सन् 2011 में शुरु हुआ और 7 वर्ष तक चलने के पश्चात् एनडीए सरकार के समय सन् 2018 में पकड़ा जा सका। घोटाले की अधिकतर राशि एनडीए सरकार के शासनकाल में ही दी गयी। मात्र 2 माह (01 मार्च 2017 – 02 मई 2017) में 147 फर्जी एलओयू के जरिये मेहुल चौकसी की गीताजंलि ग्रुप ने 3023 करोड रु0 निकाले। इसी के साथ बैंक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 08 नवम्बर 2016 को की गयी नोटबंदी के चलते ही यह घोटाला सामने आ सका। नीरव मोदी के गहने बेहद मंहगे होते थे इसलिए नोटबंदी के कारण इनकी बिक्री पर काफी असर पड़ा। परिणामस्वरुप 2017 की शुरुआत में उसकी आमदनी घट गयी और मोदी विदेशी आपूर्ति कर्ताओं के बिलों का भुगतान नही कर सका।

ऐसे पकड में आया

16 जनवरी 2018 को नीरव मोदी की तीन कम्पनियों ने ब्रैंडी हाउस शाखा में बायर्स लोन के लिए आयात से जुडे कई फर्जी दस्तावेज संलग्न करते हुये आवेदन किया था। गोकुलनाथ शेट्टी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आये नये बैंक अधिकारी द्वारा इसके लिए 100 फीसदी नकदी (मार्जिन मनी/गारंटी) जमा करने/सम्पति गिरवी रखने के लिए कहे जाने पर नीरव मोदी की कम्पनी के अफसरों का कहना था कि पीएनबी इसके पहले भी बिना नकदी जमा किये बायर्स क्रेडिट जारी कर चुका है। इस तथ्य के उजागर होने पर बैंक को आंतरिक जांच में पता चला कि गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट नियमों की अनदेखी कर (बगैर पूरा पैसा जमा कराये एवं पीएनबी के कोर बैंकिग सिस्टम (सीबीएस) को बाय पास कर) नीरव मोदी की कम्पनियो को लगातार बायर्स क्रेडिट जारी कर रहे थे और इस प्रकार 280 करोड़ रुपये नीरव मोदी की कम्पनियों को दिये जा चुके थे। घोटाले का पता चलने पर आरोपी कम्पनियों के साथ रकम की वसूली को लेकर पीएनबी के दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालयों में बैठकें भी की गयी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी समय एक विदेशी बैक ने हांगकांग की नियामक एजेंसी के साथ–साथ आरबीआई को भी इन लेन देनो की सूचना भेज दी। आरबीआई द्वारा पीएनबी से जबाव तलब किये जाने पर पीएनबी के पास इस मामले को सार्वजनिक करने एवं मामले की जांच करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।

पीएनबी

घोटाले (धोखाधड़ी) का पता लगने पर पीएनबी ने सीबीआई के यहां शिकायत दर्ज कराने के पश्चात् अपने 18 (10 एवं 8) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया। 18000 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला किया। सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के पश्चात् अपने 2 कार्यकारी निदेशकों के0के0 ब्रह्माजी राव और संजीव शरण से सारे कार्यकारी अधिकार छीन लिए, जिन्हें बाद में सरकार ने बर्खास्त कर दिया। सीबीआई द्वारा आरोपित किये जाने के बाद इलाहाबाद बैंक के बोर्ड ने अपनी एमडी एंड सीईओ उषा अनंत सुब्रहमण्यम (पूर्व एमडी एंड सीईओ पीएनबी, 2015 से मई 2017) से उनके सारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिये, जिन्हे बाद में 13 अगस्त 2018 को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्यवाही की। स्विफ्ट से सम्बन्धित लेन देनो के लिए थ्रीटियर व्यवस्था लागू की। लोन मंजूरी और निगरानी व्यवस्था को अलग–अलग किया। सीबीडीटी ने मोदी एवं चौकसी की 29 अचल सम्पत्तियाँ जब्त की। आयकर विभाग ने 1200 करोड रुपये की फैक्ट्री जब्त की। कारपोरेट मामलो के मंत्रालय की जांच एजेंसी एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इन्वेसटिगेशन ऑफिस) ने दोनों से कारोबार करने वाले सभी 31 बैंको के शीर्ष अफसरो को बुलाकर पूंछताछ की। आरबीआई ने एलओयू व एलओसी (लैटर ऑफ कन्फर्ट) पर रोक लगाई। यद्यपि इस घोटाले के सन्दर्भ में एससी में दो पीआईएल भी दायर की गयी मगर वे एससी द्वारा खारिज कर दी गयी। पीएनबी ने नीरव मोदी से सात हजार करोड रूपये से अधिक बकाया वसूली के लिए जुलाई2018 में डीआरटी में अर्जी भी दाखिल की थी जिस पर जुलाई2019 में अन्तिम फैसला सुनाते हुए डीआरटी ने 7200 करोड रूपये से अधिक की रकम ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया।

सीबीआई

सीबीआई ने दर्ज एफआईआर के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्यवाही करते हुये दोनो के 26 ठिकानो पर छापेमारी की। पीएनबी के बेच्चू तिवारी, संजय कुमार प्रसाद (मई 2016 से मई 2017 तक एजीएम) मोहिंदर कुमार शर्मा (जोनल आडिट आफिस में मई 2015 से जुलाई 2017 तक कानकरेंट आडिटर) एवं मनोज खराट (नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक एसडब्लूओ) से पूछताछ की। गोकुलनाथ शेट्टी (11 वर्षो तक ब्रैडी हाउस शाखा में एक ही स्थान पर तैनात) मनोज खराट एवं हेमन्त भट्ट को गिरफ्तार किया। विपुल अंबानी (3 वर्षो से वीपी फाइनेंष) रवि गुप्ता (सीएफओ) सौरभ शर्मा प्रेसीडेंट इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन) सुभाश परब (एक्जीक्यूटिव फाइनेस) से पूछताछ की। राजेश जिदंल, जनरल मैनेजर, क्रेडिट, दिल्ली मुख्यालय (2009 से 2011 तक ब्रैंडी हाउस शाखा में मैनेजर और 2011 में ही एलओयू शुरु किये गये थे) को गिरफ्तार किया। सुनील मेहता, एमडी एंड सीईओ एवं के के ब्रहमाजी राव (कार्यकारी निदेशक) से पूछताछ की। 10 लुकआउट सकुर्लर जारी किये। उषा अनंत सुब्रहमण्यम एक्स एमडी एंड सीईओ से पूछताछ की। 2 प्रबन्ध

निदेशकों एवं दो आडिटरों से पूछताछ की। विपुल चितालिया, उपाध्यक्ष, बैंकिग, गीताजंलि ग्रुप को गिरफ्तार किया। मोदी एवं चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारट (एनबीडब्लू) जारी कराये। 14 मई 2018 को सीबीआई ने विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें उशा अनंत सुब्रहमण्यम, मनोज खराट सहित पीएनबी के कुल 12 अधिकारियो को आरोपित किया। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार आंतरिक लेनदेन में हो रही गडबड़ियो को पकडने के लिए तैनात चीफ इंटरनल ऑडिटर मोहिदंर कुमार शर्मा एवं विष्णुव्रत मिश्रा ने इस शाखा में हो रहे गोरख धंधे से आखें बंद रखी और अपनी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक बताते रहे।

ईडी

सीबीआई में दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके और सुनील मेहता की घोटाले की मनी लाड्रिंग कानून के तहत जांच करने के अनुरोध पर मनी लाड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज करके आरोपियो के 251 ठिकानो पर छापेमारी करके कुल 9089 करोड रुपये के गहने (ज्वैलरी) सोना हीरे एफडीआर, षेयर, एमएफ में निवेश, बैंको में जमा एवं अचल सम्पत्तियाँ जब्त की। मुंबई स्थित 6 ठिकानो को सील किया। विदेश मंत्रालय से दोनो के पासपोर्ट निलंबित कराये। मोदी के मुबई स्थित एचओ से न्यूयार्क, लंदन, मकाऊ और बीजिंग स्थित शोरुमों में ब्रिकी बंद करने का आदेश जारी करवाया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी व वाराणसी स्थित गीताजंलि ज्वैलर्स के 10 से अधिक फ्रेंचाइजी शोरूमों में छापेमारी की। घोटाले का पैसा कम से कम 200 मुखोटा/फर्जी कम्पनियों एवं बैनामी सम्पत्तियों में रफा दफा किये जाने का शक होने पर 17 मुखोटा कम्पनियों पर छापेमारी की। मोदी की 7 लक्जरी कारे एवं आयातित घड़ियाँ जब्त की। मोदी के विदेशी कारोबार और सम्पत्तियों का पता लगाने के लिए हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को अनुरोध पत्र/लेटर रेगोटरी (एलआर) जारी किये। एनसीएलटी से दोनों की सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगवायी। मेहुल के न्यूटाउन (कोलकाता) स्थित शोपिंग माल को सील किया। 24 मई 2018 को मोदी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। मोदी के खिलाफ एनबीडब्लू जारी कराया। 02 जुलाई 2018 को इण्टरपोल से मोदी के खिलाफ और 13 दिसम्बर 2018 को चौकसी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी कराया। यूएई और यूके को मोदी के प्रत्यर्पण के लिए और एंटीगुआ को चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा। प्रत्यर्पण अनुरोध पर लंदन की वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट द्वारा मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी किया गया जिसके पश्चात् 19 मार्च 2019 को ब्रिटेन की स्काटलैंड यार्ड (पुलिस) द्वारा मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी जमानत याचिका को तीन बार निचली अदालत द्वारा तथा चौथी बार ब्रिटेन के हाईकोर्ट (रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस) द्वारा खारिज किया जा चुका है। ईडी के अनुरोध पर स्विटजरलैण्ड ने नीरव मोदी व उसकी बहन पूर्वी मोदी के चार बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाई। इन खातों में 283.13 करोड रूपया जमा है। ईडी के अनुरोध पर नीरव मोदी की बहन पूर्वी व उसके बहनोई मयंक मेहता के सिंगापुर में बैंक खातों को वहाँ के हाईकोर्ट ने फ्रिज करने का आदेश दिया, इस बैंक खातें में 44.41 करोड रूपया जमा है।

संदेहास्पद

1. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी घोटाला उजागर होने से कुछ दिन पहले (चौकसी 04 जनवरी 2018 को व मोदी 06 जनवरी 2018 को) देश से भाग जाने में कैसे सफल हुये? क्या इन्हे किसी ने सूचित कर दिया था?
2. इस घोटाले के सम्बन्ध में सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड सकती क्योंकि सरकारी बैंकों में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति वही करती है और शीर्ष प्रबधंन संदेह के घेरे में है। एलओयू जारी करने के लिए शीर्ष अधिकारियो की अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए इसे वर्षो तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता था। किसी शाखा के कुछ अधिकारी एवं कुछ कर्मचारी किसी घोटालेबाज से मिलकर कार्य करते रहे और शीर्ष प्रबन्धन को खबर न लगे, यह संभव नहीं है।
3. आरबीआई एवं सीबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक एक व्यक्ति सवेंदनशील डेस्क पर 6 माह से अधिक और एक शाखा में 3 वर्ष से अधिक काम नहीं कर सकता। फिर गोकुलनाथ शेट्टी कैसे 7 वर्ष तक एक ही डेस्क पर कार्य करता रहा और 11 वर्षो तक एक ही शाखा में कार्य करता रहा? जबकि सबसे ज्यादा एलओयू इसी शाखा द्वारा जारी किये जाते थे। स्पष्ट हैं कि बैंकिग व्यवस्था को दुरस्त करने सम्बन्धी आरबीआई के निदेर्शों की बैकों द्वारा अनदेखी की जा रही है और आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय में कोई यह देखने वाला नहीं है कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए समय–समय पर जारी किये गये इसके निर्देशों का बैंक पालन कर रहे है या नहीं।
4. के वी चौधरी, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त – फ्रॉड की अवधि में आरबीआई ने पीएनबी का स्पष्ट ऑडिट नहीं कराया।
5. अकेला गोकुलनाथ शेट्टी त्रिस्तरीय – जारी करने का, जांच करने का एवं सत्यापित करने का कार्य करता रहा। दूसरे देश में स्थित बैंक से आने वाली प्राप्ति रसीद (जो एक बंद कमरे में रखे प्रिंटर पर अपने आप प्रिंट होती रहती है) भी संभवत उसी के पास आती रही।
6. आरबीआई ने 5 वर्ष पूर्व नियम बदलकर स्टैटयटरी आडिटर नियुक्त करने का अधिकार खुद से हटाकर बैंकों को ही दे दिया था। इससे बैंक व आडिटर की मिलीभगत की सम्भावनायें बढ़ गयी।
7. पीएनबी ने घोटाले की शिकायत किस्तो में क्यों की? प्रारम्भ में 280 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया, फिर 11346 करोड़ रुपये का बताया गया जो अब 18000 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है।
8. पीएनबी के चुनिंदा अधिकारी एवं कर्मचारी स्वार्थवश निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके मोदी के मन की

मुराद पूरी करते रहे और लचर एवं भ्रष्ट बैंकिग तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीएनबी के किसी भी अधिकारी ने इस बात की परवाह क्यों नहीं की कि मोदी रकम उधार लिये जा रहा है और चुकाने का नाम नहीं ले रहा है? अगर पीएनबी का शीर्ष प्रबन्धन और अधिकारी वर्ग तय नियमो के हिसाब से काम कर रहा होता और इसका निगरानी तंत्र तनिक भी सजग होता तो नीरव मोदी बैंक को खोखला करने का कार्य कर ही नहीं सकता था।

9. पीएनबी के अधिकारी द्वारा तो एलओयू को सीबीएस में दर्ज नहीं किया जाता था। लेकिन दूसरे बैंको के सिस्टम में इन लेने देनो पर निगरानी करने वाली एजेंसियो की भी इस पर निगाह नहीं पड़ी। अर्थात् दूसरे बैंक भी पीएनबी की तरह कार्य कर रहे थे पैसा जाता रहा और आने पर ध्यान नहीं दिया।
10. बैंक आडिटर्स भी सदेंह के घेरे में है।

सुझाव

1. पीएनबी के शीर्ष प्रबन्धन की भूमिका की जांच की जाये और दोषी अधिकारियों की सम्पति जब्त करके घोटाले की रकम की पूर्ति की जाये।
2. निसंदेह सरकार को बैंको के लिए नीतियाँ बनाने/बदलने का अधिकार है लेकिन नियामक संस्था होने के नाते इनके क्रियान्वन/बैंको के नियमन की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। लेकिन आरबीआई के पास सीमित अधिकार है। वह न तो सरकारी बैंक के एमडी एंड सीईओ को हटा सकता है और न हीं किसी बैंक का लाइसेंस रदद कर सकता है। इसलिए पहले आरबीआई को पर्याप्त अधिकारो से लैस किया जाये। इसके लिए बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट में संशोधन किया जाये और फिर इसकी जबावदेही सुनिश्चित की जाये।
3. किसी भी घोटाले के लिए प्रथमतः बैंक के एमडी एंड सीईओ एवं बैंक बोर्ड की जबावदेही सुनिश्चित की जाये।
4. बैंक में होने वाले घोटाले की फोरेंसिक जांच कराया जाना अनिवार्य किया जाये।
5. सरकारी बैंको में आडिटर्स नियुक्ति के नियम सख्त बनाये जाये और बैंक का आडिट करने वाली फर्म की जबावदेही सुनिश्चित की जाये।
6. आरबीआई द्वारा प्रतिवर्श बैंको का अनिवार्यत आडिट कराया जाये।
7. सरकार, नियामक एवं उद्योग जगत को वित्तीय क्षेत्र में तंत्रजनित जोखिमों के निदान पर तेजी से काम करना चाहिए।
8. जोखिम प्रबन्ध सुधारा जाये और मजबूत एवं पारदर्शी गर्वनेंस हो– एस एंड पी
9. फ्रॉड मानिटरिंग मैकेनिज्म को मजबूत किया जाये।
10. भ्रष्टाचार निवारण तंत्र में आम जनता को भागीदार बनाया जाये।
11. बैंक के उच्च अधिकारियों का बाहरी (उसके ग्राहकों से) मूल्यांकन कराया जाये। पाचवें वेतन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियो का हर 5 वर्श पर बाहरी मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। आईआईएम में ऐसा होता है। यदि पीएनबी में ऐसा होता तो भ्रष्ट अधिकारी पहले ही चिन्हित हो गये होते।
12. अधिकारियो एवं कर्मचारियों का एक नियत समय के पश्चात् अनिवार्य रुप से तबादला किया जाये।
13. स्विफ्ट को सीबीएस से लिंक करना अनिवार्य किया जाये।
14. कर्ज एवं गारंटी देने के प्रस्तावो को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सख्त बनाया जाये एवं सम्बन्धित अधिकारी को जबावदेह बनाया जाये।

निष्कर्ष

इस घोटाले से पता चलता है कि बैंको के कामकाज विशेषकर विदेशो से होने वाले लेन देनो के सन्दर्भ में प्रचलित निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर है। ईडी, सीबीआई, सीबीडीटी, एसएफआईओ आदि की और से की गयी जांच के आधार पर जो सच्चाई सामने आयी है, वह बैकिंग व्यवस्था के हर क्षेत्र में नियामक के पंगु होने की गवाही देती है। बैंकों के आडिट के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है और धोखेबाज तत्वों के सामने बैकिंग सिस्टम असहाय है। बैंकिग क्षेत्र में नीरव मोदी घोटाला कोई नई बात नहीं है। आज से 27 वर्ष पूर्व सन् 1992 में भी हषर्द मेहता घोटाला हुआ था। तब भी हर्षद मेहता ने बैंकिग सिस्टम की कमियो का फायदा उठाते हुये घोटाला किया था। इसी प्रकार घोटाला/अपराध करके देश से भाग जाना भी कोई नई बात नहीं है। सन् 1984 में भोपाल गैस त्रासदी काण्ड में यूनियन कार्बाइड का शीर्ष वारेन एंडरसन यूएसए भाग गया था जिसको उसकी मृत्यु होने तक भारत वापिस नहीं लाया जा सका था। अभी 2 वर्ष पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया था और इसको भी अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। यहीं नही बैंकिग सिस्टम की खामियाँ तो 3 वर्ष पूर्व तभी उजागर हो गयी थी जब 08 नवम्बर 2016 को नोटबंदी के बाद बैंको ने सरकार के इरादे पर एक बडी हद तक पानी फेर दिया था। सन् 2011 में ही आरबीआई ने हाउसिंग लोन, एक्सपोर्ट लोन और एफडीआर के बदले लोन देने की व्यवस्था की निगरानी के लिए कई कदम उठाये थे, लेकिन इस घौटाले ने आरबीआई की तरफ से पूर्व में उठाये गये कदमो को नाकाफी सिद्ध कर दिया है।

इस एक घोटाले ने बैंकिग व्यवस्था के मौजूदा निगरानी तंत्र पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसी कारण आशीष चौहान, सीईओ बीएसई का कथन उचित प्रतीत होता है कि अगर 1992 में हुये हर्षद मेहता घोटाले के बाद बैंकिंग सेक्टर में पर्याप्त सुधार हुआ तो शायद पीएनबी घोटाले को रोका जा सकता था। सीवीसी (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने वाले बैंक को प्रतिवर्ष सर्तकता सप्ताह के दौरान एवार्ड प्रदान करता है कितना हास्यास्पद है कि सीवीसी द्वारा विगत 3 वर्शो से पीएनबी को समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने के एवज में यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा था? अक्टूबर 2017 में भी प्रदान किया गया था। रजनीश कुमार, चैयरमैन, एसबीआई – अगर आप पैसे के कारोबार में है तो जोखिम हमेशा रहेगा। ऐसी स्थिति में बैंक में हुये किसी घोटाले के लिए

इसके एमडी एंड सीईओ एवं अन्य को बर्खास्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि घोटाले की रकम को उन सभी की सम्पत्तियों को जब्त कर पूरा किया जाये और उनके कृत्य को दुलर्भ से दुलर्भतम अपराध मानते हुये उन्हें दण्ड दिया जाये अन्यथा संदेह है कि फंसे कर्जो (एनपीए) के कारण पहले से ही समस्याग्रस्त बैंको के कामकाज को वास्तव में दुरुस्त किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, फरवरी 2018 – जून 2019।

दैनिक जागरण, मेरठ, 06 फरवरी 2018 – 07 जुलाई 2019।

अमर उजाला, मेरठ, 06 फरवरी 2018 – 07 जुलाई 2019।

दैनिक जनवाणी, मेरठ, 06 फरवरी 2018 – 07 जुलाई 2019।

हिन्दुस्तान, मेरठ, 06 फरवरी 2018 – 07 जुलाई 2019।

बिजनेस स्टेण्डर्ड, नई दिल्ली, 06 फरवरी 2018 – 07 जुलाई 2019।